संख्या-6/2015/31/78-2-2015-169आई.टी./2014

प्रेषक,

महेन्द्र प्रसाद भारती,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊः दिनांकः 12 जनवरी, 2015

विषयः मण्डलों व जनपदों की रैंकिंग से सम्बंधित वेबसाइट से सम्बद्ध हायर्ड मैनपावर को अक्टूबर, 2016 तक यथावत बनाये रखने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पत्र संख्या-2849/31-2014-88/2013 दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डलों व जनपदों की रैंकिंग से सम्बंधित वेबसाइट से सम्बद्ध हायर्ड मैनपावर को अक्टूबर, 2016 यथावत बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसर रू0 7,56,872/- (रू0 सात लाख छप्पन हजार आठ सौ बहत्तर मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति निर्गत करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रम सं0	मद	प्रति माह दर	एक वर्ष हेतु
1	सीनियर प्रोग्रामर	रू0 36653/-	36653 x 12 = 439836
2	असिस्टेंट प्रोग्रामर	रू0 22253/-	22253 x 12 = 267036
3	वेबसाइट का थर्ड पार्टी सिक्योरिटी आडिट	--	50000
		योग	756872

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय वर्ष नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-3(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक को संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा तथा संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा धनराशि आहरित कर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) उक्त धनराशि प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ "NICSI, New Delhi" के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का उपयोग प्रस्तर-1 में उल्लिखित मदों में ही किया जायेगा।

(5) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के लेखाशीर्ष 2852-उद्योग (आयोजनागत)-07-दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-14-सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग द्वारा वहन किया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति पुनर्विनियोग से संबंधित प्रपत्र संलग्न है।

(6) यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के आ0शा0प0सं0-ई-6-730 दिनांक 06 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव।

संख्या-6/2015/31(1)/78-2-2015 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
3- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0/यूपीएलसी, लखनऊ।
5- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी यूपीयूनिट, लखनऊ।
6- राज्य समन्वयन सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- सचिव, संचार और सूचना प्रौद्योगिी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

8- महानिदेशक एन.आई.सी. मुख्यालय, नई दिल्ली।

9- उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, प्लान फाइनेन्स-1 डिवीजन व्यय विभाग, भारत भारत सरकार, नई दिल्ली।

10- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

11- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, लखनऊ।

12- कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग।

13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4/औद्योगिक विकास अनु0-2/मुख्य मंत्री कार्यालाय अनु0-3

14- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म-बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भाँति देख लिया जाये)

अनुदान संख्या व नामः अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) वित्तीय वर्षः 2014-15 धनराशि (रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2852-07-202-14-00-31	1,69,00,000/-	91,45,789/-	7,56,872/-	7,56,872/-	1,61,43,128/-
योगः	1,69,00,000/-	91,45,789/-	7,56,872/-	7,56,872/-	1,61,43,128/-

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2852-07-202-17-00-16	45,00,000/-	61,13,744/-	7,56,872/-	7,56,872/-	52,56,872/-
योगः	45,00,000/-	61,13,744/-	7,56,872/-	7,56,872/-	52,56,872/-

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है:- चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधान के सापेक्ष अब तक रु0 77,54,211/- की स्वीकृत जारी किया जाना।
(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:- लागू नही।
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151,154 व 155
में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

संख्याःआर.ई..166/ई- 6 /दस-2015 दिनांक 06.1.15
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर ..... (महेन्द्र प्रसाद भारती)
नाम व पदनाम.....अनु सचिव,
प्रशासकीय विभाग आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ० प्र० शासन।

हस्ताक्षर .....
नाम व पदनाम.....
वित्त विभाग .....

संख्याः- 78-2-2014-169आई.टी./2014
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ
3. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

हस्ताक्षर ..... (महेन्द्र प्रसाद भारती)
नाम व पदनाम... .....अनु सचिव,
प्रशासकीय विभाग ..आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ० प्र० शासन।

अनुदेश

1.प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से संबंधित पुनर्विनियोगों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भारित व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में ''भारित'' अंकित कर दिया जाय।
2.जिन लेखाशीर्षो में प्रभाव पड़ेगा उनका वर्णन ब्योरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।
3.कालम-2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि, जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक संबंधित लेखाशीष के अंतर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हों, को सम्मिलित किया जाये।
4.प्रपत्र के कालम-5, 6 व 11, 12 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोग अंकित किया जायेगा।